



अभिलेख उपस्थापित ।

पाना प्रभारी को न्यायालय से लगातार जांच प्रतिवेदन हेतु स्मार पत्र प्रेषित किया जा प्रेषित के उपरान्त भी जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने से प्रथम एवं प्रथम पक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने से प्रतिन लेता है कि स्थल में विधि- व्यवस्था एवं भांति- व्यवस्था बना लेने की संभावना नगण्य प्रतिन लेता है।

अतः वाद की कार्यवाही को समाप्त कर अभिलेख को बन्द किया जाता है।  
लेखापित्र ।

  
अड्डा दण्ड  
गिरिगीह ।

  
अड्डा दण्ड  
गिरिगीह ।